राजस्व वाद स. 168/2020
जयवीर बनाम अच्छना आदि
निर्णय दिनांक 23–11–2022

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 168/2020 जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00383

जयवीर सिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुत निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

बनाम

1. अच्छना पत्नी रामसिंह
2. उदयसिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
3. ऊषा पुत्री बलवीर सिंह
4. कवंर पत्नी रामसिंह
5. जगदीश पुत्र श्री मोहरसिंह **(फौत)**
   - **5/1.** पुष्पा देवी पत्नि जगदीश
   - 5/2. कैलाश पुत्र जगदीश
   - 5/3. चमेली पुत्री जगदीश
   - 5/4. मुन्नी पुत्री जगदीश
   - 5/5. बीता पुत्री जगदीश
   - 5/6. पिंकी पुत्री जगदीश
6. प्रकाश सिंह पुत्र श्री रामसिंह
7. बब्लूसिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह
8. बाबुसिंह पुत्र श्री रामसिंह
9. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह **(फौत)**
   - **9/1.** भागेश पुत्र महेन्द्र सिंह
   - 9/2. राजू पुत्र महेन्द्र सिंह
   - 9/3. योगेश पुत्र महेन्द्र सिंह
10. राजबाई पत्नी बलवीर सिंह
11. रिसाल सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह **(फौत)**
    - 11/1. मच्छला देवी पत्नि रिसाल सिंह
    - 11/2. रामवतार पुत्र रिसाल सिंह
    - 11/3. दलीप पुत्र रिसाल सिंह
    - 11/4. सुधा पुत्री रिसाल सिंह
    - 11/5. मीना पुत्री रिसाल सिंह
    - 11/6. कोमल पुत्री हनुमान नवीरा रिसाल सिंह

(1 से 11/6 तक) जाति राजपूत निवासी पचेरी कलां तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

12. शकुन्तला देवी पत्नी बाबुसिंह
13. संजूसिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह
14. सुबेसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह
15. मंजू देवी पत्नी लीलाधर जाति सुनार निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:50:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा – घोषणात्मक , रिकॉर्ड दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. सभी प्रतिवादीगण अनुपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक –23–11–2022.

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र खाता विभाजन, रिकॉर्ड दुरूस्ति ,स्थाई निषेधाज्ञा इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि कि वाके ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न 143 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 261/2 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 261/3 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 261/4 रकबा 0.07 हैक्टर ख.न. 262 रकबा 0.34 हैक्टर ख.न 276 रकबा 0.72 हैक्टर ख.न 277 रकबा 0.30 हैक्टर किता 10 रकबा 5.64 हैक्टर के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 11 एवं 13 व 14 थें इस भूमि मे वादी का 1/6 हिस्सा हैं इस भूमि में से ख.न. 262 रकबा 0.34 हैक्टर तथा ख.न. 276 रकबा 0.72 हैक्टर किता 2 रकबा 1.06 हैक्टर में से 0.17 हैक्टर अर्थात् वादी ने अपना 1/6 हिस्सा का बेचान प्रतिवादी स. 15 मंजू देवी को जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2006 को कर दिया। शेष भूमि पर वादी शांन्तिपूर्वक काबिज कास्त हैं।

2. यह कि वादी द्वारा बेचान की गई भूमि ख.न. 262, 276 किता 2 रकबा 1.06 हैक्टर का नामान्तकरण प्रतिवादी स. 15 के नाम जरिए नामान्तकरण स. 1350 दिनांक 01.02.2008 को दर्ज किया गया तथा उसका नोट भी जमाबन्दी सवत् 2062 – 65 मे लगाया गया ।

3. यह कि वादी ने प्रतिवादी स. 15 को केवल भूमि ख.न. 262 एवं 276 किता 2 रकबा 1.06 हैक्टर मे से अपना 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.17 हैक्टर रकबा का बेचान किया था लेकिन जमाबन्दी सवत् 2066 – 69 बनाई गई तो राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही एवं बेईमानी एवं आपराधिक मानसिक्ता के कारण वादी का नाम वाद पत्र के खण्ड न. 1 मे वर्णित भूमि ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न 143 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 261/2 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 261/3 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 261/4 रकबा 0.07 हैक्टर ख.न. 262 रकबा 0.34 हैक्टर ख.न 276 रकबा 0.72 हैक्टर ख.न 277 रकबा 0.30 हैक्टर किता 10 रकबा 5.64 हैक्टर सम्पूर्ण मे से ही हटा दिया गया एवं प्रतिवादी स. 15 का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि ख.न. 262 व 276 के अलावा [illegible] वादी ने कभी भी नही किया हैं। एवं भूमि ख.न. 142 , 144, 149, 277, 2921/[illegible] 2922/261 ख.न. 143 एवं 2920/261 में वादी का 1/6 हिस्सा [illegible] किसी को भी रहन , बेचान नही किया हैं। केवल राजस्व [illegible] एवं लापरवाही से वादी का नाम इस भूमि की खातेदारी से षड़यन्त्र [illegible] गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:50:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 168/2020
जयवीर बनाम अच्छना आदि
निर्णय दिनांक 23–11–2022

4. यह कि वाद वर्णित भूमि पहले राजस्व गॉव पचेरी कलां में स्थित थी लेकिल अब
शिवसिंह पुरा अलग राजस्व ग्राम सृजित होने पर सवत् 2066 से यह भूमि अब ग्राम
शिवसिंहपुरा में स्थित हैं।

5. यह कि प्रतिवादी स. 15 ने भूमि ख.न. 262 में से अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी स. 12
को बेचान करना बताया हैं क्योकि ख.न. 143 एवं 2920/261 की खातेदार प्रतिवादी स.
15 कभी भी नही थीं इसलिए प्रतिवादी स. 12 का नाम भूमि ख.न. 143 एवं 2920/261
में प्रतिवादी स. 12 का नाम 1/6 हिस्से मे गलत दर्ज हुआ हैं। तथा भूमि ख.न. 142 ,
144, 149, 277, 2921/261 , 2922/261 की खातेदारी मे प्रतिवादी स. 15 का नाम
गलत दर्ज हैं। इस प्रकार प्रतिवादी स. 12 व प्रतिवादी स. 15 के नाम उपरोक्त भूमि में
की गई प्रविष्टिया वादी के हक अधिकारो पर प्रभावहीन एवं शुन्य हैं। तथा प्रतिवादी स.
12 एवं प्रतिवादी स. 15 को उपरोक्त प्रविष्टि के आधार पर कोई हक व अधिकार प्राप्त
नही होते हैं।

6. यह कि भूमि ख.न. 143 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 2920/261 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न.
142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न.
277 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 2921/261 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 2922/261 रकबा 0.
07 हैक्टर किता 8 रकबा 4.58 हैक्टर में वादी का 1/6 हिस्सा हैं। इस भूमि में प्रतिवादी
स. 12 एवं प्रतिवादी स. 15 का नाम गलत दर्ज किया गया हैं। जो वादी के
हकअधिकारो पर प्रभावहीन एवं शुन्य हैं। एवं उक्त प्रतिवादी स. 12 व 15 का नाम इस
भूमि की खातेदारी से हजफ कर वादी को इस भूमि का खातेदार घोषित किये जाने योग्य
हैं।

7. यह कि प्रतिवादी स. 12 व प्रतिवादी स. 15 का नाम भूमि ख.न. 143 रकबा 0.57 हैक्टर
ख.न. 2920/261 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.
33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 277 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 2921/261
रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 2922/261 रकबा 0.07 हैक्टर किता 8 रकबा 4.58 हैक्टर की
खातेदारी में वादी के स्थान पर बिना किसी हक अधिकारो के बिना की सक्षम न्यायालय
के आदेश के दर्ज किया गया हैं जो वादी के हक अधिकारो पर प्रभावहीन एवं शुन्य हैं।
लेकिन उक्त प्रतिवादी स. 12 व 15 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने से वे इसे पुनः
हस्तानान्तरित करने की धमकी देने लगे हैं। जिससे वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं
जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

8. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि ख.न. ख.न. 143 रकबा 0.57 हैक्टर
ख.न. 2920/261 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.
33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 277 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 2921/261
रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 2922/261 रकबा 0.07 हैक्टर किता 8 रकबा 4.58 हैक्टर में
बिना किसी आधार के प्रतिवादी स. 12 व 15 का नाम [illegible] मे दर्ज कर देने एवं अब
उक्त प्रतिवादी स. 12 व 15 द्वारा इसे पुनः [illegible] हस्तानान्तरित करने की
धमकी देने से पैदा हुआ हैं। इसलिए उक्त दावा अन्दर मियाद पेश हैं वैसे भी इस प्रकार
के दावो के लिए कानून मे कोई मियाद निर्धारित नही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:50:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

9. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा में स्थित हैं। जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे स्थित होने से यह वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

10. यह कि प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 15 वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं एवं प्रतिवादी स. 16 लैण्ड होल्डर हैं जो आवश्यक पक्षकार हैं इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं।

11. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन मे वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

12. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस एवं दावा रिकॉर्ड दुरूस्ति के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत हैं एवं दावा स्थाई निषेधाज्ञा के ए 1/– रू. कोर्ट फीस नियत हैं अर्थात् दावा कुल 3/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम शिवसिहंपुरा स्थित भूमि ख.न. 143 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 2920/261 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 277 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 2921/261 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 2922/261 रकबा 0.07 हैक्टर किता 8 रकबा 4.58 हैक्टर में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इस भूमि से प्रतिवादी स. 12 व 15 का नाम हजफ किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने कि कृपा करें।

(ख). कि प्रतिवादी स. 12 व 15 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा स्थित भूमि ख.न ख.न. 143 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 2920/261 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 277 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 2921/261 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 2922/261 रकबा 0.07 हैक्टर किता 8 रकबा 4.58 हैक्टर के किसी भी भाग को रहन, बेचान, गिरवी, हस्तानान्तरित नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवायें। एवं प्रतिवादी स. 16 को भी पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादी स. 12 व 15 द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार का दान, रहन, बेचान, गिरवी हस्तानान्तरण विलेख को पंजिकृत नही करे ऐसा कृत्य ना स्वंय करे ना ही अपने मातहत किसी अधिकारी या कर्मचारी से करवाये।

(ग). कि दावा वादी विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया जो वादी जिसका वाजिबहकदार को वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण [illegible] की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एकपक्षीय का[illegible] किया गया। साक्ष्य में वादी की ओर साक्ष्यवादी में शपथ [illegible] 1 [illegible] स. 44, प्रदर्श –2 नकल दस्तावेजात प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी [illegible] 2075–78 [illegible] 384 वाके ग्राम जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 4[illegible] प्रदर्श– 3 [illegible] शिवसिंहपुरा, प्रदर्श– 4नकल जमाबंदी सं. 2070–73, [illegible] – 5 नकल जमाबंदी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:50:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2066–69, प्रदर्श– 6 नकल जमाबंदी संवत् 2062–65, प्रदर्श –7 नकल जमाबंदी संवत् 2058–61, प्रदर्श – 8 नकल जमाबंदी संवत् 2050–53, प्रदर्श– 9 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श– 10 नकल जमाबंदी संवत् 2043, प्रदर्श– 11 मिसल बन्दोबस्त, प्रदर्श– 12 नामान्तकरण सं. 1350 ग्राम पचेरी कलां, प्रदर्श–13 नकल विक्रय पत्र दिनांक 18–07–2006 पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय मुताबिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम शिवसिंहपुरा स्थित भूमि ख.न. 143 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 2920/261 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 277 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 2921/261 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 2922/261 रकबा 0.07 हैक्टर किता 8 रकबा 4.58 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 12 व 15 का नाम हजफ कर वादी को 1/6 हिस्सा का खातेदार धोषित किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 23-11-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:50:30 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 168/2020 जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00383

जयवीर **बनाम** अच्छना आदि
दावा – घोषणात्मक , रिकॉर्ड दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23–11–2022 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी** बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि :–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम शिवसिहंपुरा स्थित भूमि ख.न. 143 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 2920/261 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न. 142 रकबा 2.29 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 149 रकबा 0.91 हैक्टर ख.न. 277 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 2921/261 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 2922/261 रकबा 0.07 हैक्टर किता 8 रकबा 4.58 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 12 व 15 का नाम हजफ कर वादी को 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख **23–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:50:30 IST
Reason: SelfAttested